International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 6, 633-635
June 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

पूजा रानी
एम.फिल. (छात्रा)
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास उच्च शिक्षा और शोध संस्थान धारवाड केंद्र

Correspondence
पूजा रानी
एम.फिल. (छात्रा)
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास उच्च शिक्षा और शोध संस्थान धारवाड केंद्र

मनुस्मृति में नारी विमर्श

पूजा रानी

मनुस्मृति संस्कृत भाषा ग्रन्थों में प्रसिद्ध ग्रन्थ माना जाता है। वेदों के बाद धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, मामलों में मनुस्मृति सदियों तक पथ प्रदर्शक के तौर पर चलती रही। हिन्दू राज्यों में प्राचीन काल में संविधान के तौर पर प्रचलित होने के कारण सभी निर्णय 'मनुस्मृति' के अनुसार ही किये जाते थे।

बाद में जाति–पाति को दृढ़ता से प्रचारित करने वाली पुस्तक माने जाने के कारण भारतीय संविधान के पितामह डा० भीमराव अंबेडकर ने हजारों लोगों के समक्ष एक जनसभा में इसे अग्निसात किया था और मनु को असभीक्ष्यकारी व्यक्ति धोषित किया था।

डी० एम० के० के संस्थापक रामास्वामी नायकर विजयवाड़ा के प्रसिद्ध गांधीवादी नास्तिक प्रो० गोरा और एथिस्ट सोसाइटी आफ इंड़िया के महामंत्री डॉ० जयगोपाल आदि ने इसे सार्वजनिक रूप में अपमानित कर अग्नि की भेंट चढ़ाया था। संसद सदस्य बी० के० गायकवाड़ ने संसद में मनुस्मृति फाड़ कर फेक दी थी। [1]

ऐसे में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है जो इसके विरूद्ध मानवतावादियों और धर्म निरपेक्ष विचारकों में इतनी घृणा है।

वैसे तो मनुस्मृति में 12 अध्यायों के अन्तर्गत चारो वर्ण विषयक कर्म, नियम, दण्ड, राजनियम पर सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया गया है परन्तु इस वर्ण भेद के अन्तर्गत पुरूष व स्त्री विषयक धर्म पर अलग–अलग विचार भी प्रमुख व ध्यान देने योग्य है। मनुस्मृति अनुसार –

> द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरूषोऽभवत्।
> अधैन नारी तस्यांस विराजमसृजत्पभुः।। [2]

अर्थात नारी ने अपने शरीर के दो भाग करके, आधे से पुरूष और आधे से स्त्री बनाकर उसमें विराट् पुरूष की सृष्टि की।

मनु अनुसार ब्रह्मा ने शरीर के दो भाग अर्थात पुरूष व स्त्री से अपना पूरा शरीर माना। वहीं उनके कार्यो का अलग–अलग विभाजन भी कर दिया गया। स्त्रियों का वैदिक संस्कार केवल विवाह विधि ही है। स्त्रियों के लिये पति की सेवा ही गुरूकुल का वास है और घर का कार्य नित्य का हवन होता है। [3] अर्थात् ऐसा कह कर उन्हें घर की चार दीवारी में धरेलू काम का अधिकार देकर धार्मिक कार्यो से दूर कर दिया गया। अन्य दृष्टान्त भी प्रस्तुत है।

> स्वभाव एव नारीणां नराणमिह दूषणम्।
> अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रभदासु विभाचिताः।। [4]

अर्थात् पुरूषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है। इसलिए विवेक पुरूष युवती स्त्रियों के विषय में कभी प्रमाद नहीं करते। इस संसार में जो काम, क्रोध के वशीभुत है वे चाहे मूर्ख हो या विद्धान उनको युवा स्त्री कुमार्ग में ले जाने में समर्थ होती है।

ब्रह्म ने पुष्चल दोष से, चन्चलता से और स्वभाव से ही स्नेह न होने के कारण स्त्री को घर में यत्नपूर्वक रखने योग्य पति के विरूद्ध काम करने वाली कहा है। इसलिये पुरूष द्वारा हमेशा स्त्री रक्षणीय है। [5] मनुस्मृति के 11 वें अध्याय में कहा गया है कि कन्या, युवा स्त्री, थोड़े पढ़े–लिखे, मूर्ख, पीड़ित और जिनका यज्ञादि नही हुआ है। वे अग्निहोत्र के (होता) हवनीय कार्य को न करें। [6] यदि ये लोग हवन करें तो नरक में जाते हैं और जिसके द्वारा करते है वह भी नरक में जाता है। धर्म शास्त्र की व्यवस्थानुसार स्त्रियों की जात कर्मादि क्रियायें मंत्रों से नही करनी चाहिये। उन्हें मन्त्रों का ज्ञान और अधिकार नही है, उनकी झूठ में ही स्थिति है। [7]

सप्तम् अध्याय में मनु द्वारा राजधर्म का निरूपण किया गया है। पृष्ठ 248 में उल्लेख किया गया है कि बुद्धिहीन, गूंगा, अन्धा, बहरा, शुक, सारिकादिक पक्षी, बुढा, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और अड्गहीन, इन सबको मन्त्रणा करते समय हटा देना चाहिए। विशेषकर स्त्रियाँ गुप्त मन्त्र प्रकट कर देती है, इसलिये राजा इन सबको मन्त्रणा स्थान से दूर रखें। [8] वही पृष्ठ 219 पर कहा गया है कि परीक्षित स्त्रियाँ चामर, स्नान, पानादिक जल और धुप आदि से राजा की परिचर्या करें विरोधी तथ्य प्रस्तुत करता है। [9]

अन्य स्थान पर कहा गया है कि एक भी निर्लोभी पुरूष साक्षी हो सकता है, परन्तु बहुत स्त्रियाँ पवित्र होने पर भी नहीं हो सकती, क्योकि स्त्रियों की बुद्धि चंचल होती है। [10]

नवम् अध्याय में भी मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नही। साथ ही साथ कहा गया है कि मदिरा पीना, दूष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर उधर धुमना, दूसरों के घर में रहना ये स्त्रियों के दोष हैं। जबकि उन्हें ऐसा स्त्री दोष के स्थान पर व्यक्ति दोष कहना चाहिये था। [11]

अब अध्याय 5 के आधार पर स्त्रियों के धर्म देखिये बालिका हो या वृद्धा, स्त्री को स्वतन्त्रता पूर्वक घर का कोई काम नही करना चाहिये। [12] स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति के परलोकगामी होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे। कभी स्वतंत्र होकर ना रहें, पिता, पति या पुत्र से पृथ्क रहने की इच्छा न करे। [13] क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनो कुलों को निन्दित करने वाली होती है। स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कामों को सम्भालना चाहिये। स्त्रियों के लिए न अलग व्रत है, न कोई यज्ञ है। पति की सेवा से ही वह स्वर्ग लोक में पुजित होती है। पति के मरने पर स्त्री पवित्र, फल, फूल और मूल खाकर देह क्षीण करें। परन्तु कमी पर पुरूष का नाम न ले। विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मो को चाहती हुई मरते दम तक क्षमा युक्त और नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। [14]

अपने गुणहीन पति को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ पुरूष को जो स्वीकार करती है वह समाज में निन्दनीय होती है लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर निन्दा करते हैं। इसके विरीत पुरूष के लिये कहा गया है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात् अग्निहोत्र ले व प्रतिदिन पञ्चयज्ञों को करते हूये जीवन के दूसरे भाग में गृहस्थाश्रम लें। [15]

मनुस्मृति अनुसार स्त्रियाँ सन्तान उत्पन करने के कारण उपकार करने वाली पूजनीय और गृह की शोभ रूप हैं। [16] अगर उसमें ये विशेषता न हो तो? इसका उत्तर भी इसी ग्रन्थ में मौजूद है। यदि स्त्री सन्तान उत्पन्न करने के योग्य न हो तो ग्यारहवें वर्ष में शीध्र ही दुसरा विवाह कर लेना चाहिये। [17] जो स्त्री स्वामी के दूसरे विवाह करने पर रूष्ट होकर घर से भागे तो उसे पकड़कर घर में बन्द कर देना चाहिये या उसको उसके पिता के घर भेज देना चाहिये। [18] मनुस्मृति की स्त्री विषयक सोच का एक पक्ष

यत्रनार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। [19]

ये सामने आता है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्रियों का सत्कार न होने पर सभी क्रिया निष्फल हो जाती है।

स्त्रियों के सत्कार का एक अन्य दृष्टान्त
पितृभि भ्रार्तभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।
पूज्या भूषचितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः।। [20]

मनु के अनुसार स्त्रियों को हमेशा भूषण, वसन और भोजन से सन्तुष्ट करना चाहिये। समृद्धि की इच्छा वाले पुरूषों को नित मंगलकार्य और उत्सवों में स्त्रियों को भूषण– वसनादि से सन्तुष्ट रखना चाहिये।

मनुस्मृति में स्त्री विषयक सहृदयता के कुछ उदाहरण भी मिलते है जैसे 3 अध्याय में देखिये

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणी गर्भिणीः स्त्रियः।
अतिथिभ्योडग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन्।। [21]

नयी बहु, कन्या, रोगी और गर्भिणी स्त्रियाँ, इन सबको अतिथि के पहले बिना विचारे भोजन करने दे।

पृष्ठ संख्या 49 पर कहा गया है कि जो दुसरे की स्त्री हो और जिससे किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो उसे भवती. सुभगे अथवा भगिनी कहकर बातचीत करनी चाहिये। [22] भौजाई को नित्य प्रणाम करने को व, बुआ, माता, और अपने से बड़ी बहन के साथ माता का व्यवहार करने व माता को महान समझने की शिक्षा दी है। [23] रथ पर चढ़े हुये को, अति वृद्ध को, रोगी को, बोझ उठाये हुये को व स्त्री को, राज को व दूल्हे को रास्ता देने अर्थात जिस मार्ग से ये आते हों उससे हट जाने को कहा गया है। [24] मनुस्मृति के अष्टम् अध्याय में आत्मरक्षा व स्त्री रक्षा के लिए अगर संग्राम की आवश्कता हो तो द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण करने व हिंसा करने को भी दोष नहीं माना गया है। [25]

श्लोक 404 में जहाँ यात्रियों को नाव किराया एक पण देने का विधान है वहीं स्त्री को पार उतारने का चौथाई पण का विधान, किया गया है। [26] क्योकि पत्नी, पुत्र व सेवक को निर्धन कहा गया है। इनका उपार्जन किया धन उसका होगा जिसके ये पुत्र, पत्नी व सेवक है अर्थात् पत्नी का धन पर संपति पर अधिकार नहीं होगा।[27]

इस प्रकार हम देखते है कि मनुस्मृति सारांश रूप में धर्म सम्बन्धी अनेक पक्षों को उजागर करती है। अनेक स्थलों पर जहाँ मनु महाराज ने स्त्री व पुरूष में समानता का दृष्टिकोण उजागर किया है जैसे स्त्री को सम्पूर्ण स्वतंत्रता कभी न देना, परन्तु दुसरी तरफ 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते– कहकर नारी को पूजनीय बना दिया। इन विरोधी उदाहरणों को देखतें हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचा अत्यन्त कठिन है।

जहाँ तक मेरा मानना है मनुस्मृति में विचार विरोध की कई सम्भावनाएं है। प्रथम सम्भावना यह है कि हजारों साल पहले रचे गये इस ग्रन्थ में कालान्तर में बहुत से प्रक्षिप्तांश जोड़ दिये गये हों क्योकि प्राचीन काल में प्रैस ना होने के कारण लिपिकार ग्रन्थों की हस्तलिपियाँ तैयार करते थे। ये लिपिकार स्वयं भी विद्वान होते थे, श्लोको की रचना कर सकते थे। अतः कुछ अंश उनके द्वारा मिला दिये गये हो। वैदिक काल में स्त्री की स्थिति क्योंकि पुरूषों से उच्च मानी जाती है अतः कुछ कालान्तर बाद लिखे इस ग्रन्थ में स्त्री के प्रभाव को कम करने के लिये ऐसा किया गया हो।

दूसरी सम्भावना यह है कि मनु ने बिना किसी भूमिका के स्पष्टतः संकेत ना देते हुये ये विरोधी विचार दो अलग–अलग स्वभाव की स्त्रियों के विषय में प्रकट किए हो। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' श्लोक साध्वी स्त्रियों के बारे में हो और उसके विरोधी भाव श्लोक दुष्टा स्त्रियों के विषय में हो अन्यथा इतने बड़े धर्मशास्त्र वेता मनु इन विरोधी विचारो को एक साथ क्यों प्रकट करते। ऐसा तो कोई संशयात्मक, अज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। वैसे भी मनुस्मृति

अनुसार

'धारणाय धर्ममित्याहुर्यस्माद् धरयति प्रजाः' अर्थात धर्म का अर्थ है जिसे अन्तःकरण में धारण करके मनुष्य अपने आचरण तक लाता है। जो प्रजा को सुव्यवस्थित करता है वह धर्म है।

संदर्भ सूची :-

1. मसिक पत्रिका सरिता, सितम्बर (द्वितीय) 1980/144 पृ०लेखक डॉ० सुरेन्द्र कुमार शर्मा 'अज्ञात'
2. अध्याय प्रथम, पृ० 7 सृष्टि निरूपण
3. वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतिः। पति सेवा गुरौ वासो गहार्थोऽग्निपरिक्रिया।। 67, 2 अध्याय
4. शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनार्जवम्। प्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्।।.द्वितीय अध्याय, 213
5. नवम् अध्याय, 15
6. 36. श्लोक
7. नवम् अध्याय, 18– नास्त्रि स्त्रीणां क्रिया मनत्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया हयमन्त्राच स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः।।
8. जडमुकान्धबधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान्। स्त्रीम्लेच्छव्याधितत्यड्गन्मन्त्रकालेऽपसारयेत्।। 148
9. 7 अध्याय, 219
10. 8 अध्याय, 77
11. 9 अध्याय, 13
12. 5 अध्याय, 147

13. 5 अध्याय, 148
14. 7 अध्याय, 149–157
15. पञ्चम् अध्याय 168,169
16. नवम् अध्याय, 26
17. नवम् अध्याय, 81
18. नवम् अध्याय, 83
19. तृतीय अध्याय, 59
20. तृतीय अध्याय, 55
21. तृतीय अध्याय, 114 श्लोक
22. द्वितीय अध्याय, 129 श्लोक पर पत्नी तु या स्त्री....
23. द्वितीय अध्याय, 132,133 श्लोक
24. द्वितीय अध्याय, 138 श्लोक
25. अष्टम् अध्याय, 351–360
26. पृष्ठ संख्या– 337,8 अध्याय
27. 8 अध्याय – 416 श्लोक